TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

E-NEWSLETTER

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूज़लैटर

मार्च, 2021

डॉ. पी. डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा द्वारा 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित किया गया, साथ ही इस अवसर पर महिला कर्मचारियों को एक नया कॉमन रूम समर्पित किया गया।

1. सिफारिशें

1.1 भादूविप्रा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को उसके पिछले पत्रों पर 2 फरवरी 2021 को प्लेटफॉर्म सेवाओं के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं:

प्लेटफॉर्म सेवाएँ प्रोग्रामिंग सेवाएं हैं जो प्लेटफॉर्म विशिष्ट होती हैं और सैटेलाइट–आधारित प्रसारकों से प्राप्त नहीं की जाती हैं। इन प्रोग्रामिंग सेवाओं का निर्माण वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) यथा एमएसओ, डीटीएच द्वारा किया जाता या इन्हें कुछ कंटेंट निर्माताओं से प्राप्त किया जाता है।

भादूविप्रा ने 2014 और 2019 में विशेष रूप से डीटीएच के लिए इस विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। भादूविप्रा को एमआईबी से 23 अक्टूबर 2020 को दो पत्र प्राप्त हुए, जिनमें इन सिफारिशों के कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार के करने के लिए कहा गया था।

पहले पत्र में, एमआईबी ने "प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" पर भादूविप्रा की 19 नवंबर 2014 की कुछ सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। दूसरे पत्र में, एमआईबी ने "डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफॉर्म सेवाएं" पर भादूविप्रा की 13 नवंबर, 2019 की कुछ सिफारिशों को एमएसओ द्वारा भी अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा था।

इस परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कुछ मुद्दों को पूर्व में विशेष रूप परामर्श के लिए नहीं रखा गया था, इसलिए भादूविप्रा ने 7 दिसंबर 2020 को भादूविप्रा के मसौदा उत्तर के रूप में एक परामर्श पत्र जारी किया।

एमआईबी की टिप्पणियों, हितधारकों की लिखित टिप्पणियां पर विचार करने और अपने स्वयं के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और दोनों पत्रों के जवाब के रूप में इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को भेज दिया है। प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों पर एमआईबी के विचारों पर अपनी पुनर्विचारित सिफारिशें प्रस्तुत की हैं:

- एमआईबी या डाकघर के साथ एक वितरक के रूप में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति/संस्था प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनल कैरी करने की पात्र होगी: भादूविप्रा ने सूचित किया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते एमआईबी यह सुनिश्चित करे कि प्लेटफ़ॉर्म सेवा प्रदाता स्वामित्व की स्थिति का प्रकटन करें और कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड का अनुपालन करें।
- एमएसओ और एलसीओ को अनुमत प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनलों के रूप में उनके द्वारा कैरी किए जा रहे कुल अनुमत सैटेलाइट चैनलों के अधिकतम क्रमशः 5% और 1% की अनुमति दी जा सकती है: भादूविप्रा ने वितरकों के लिए अधिकतम 15 प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनलों की सिफारिश की है।
- एमआईबी प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनल के वितरण से पीछे हट सकता है यदि यह भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है: भादूविप्रा ने सहमति व्यक्त की है और एमआइबी को यह शर्त रखने का सुझाव दिया कि वितरक द्वारा स्वामित्व/नियंत्रण में किसी बदलाव की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए।

प्राधिकरण ने निम्नलिखित पहलुओं पर अन्य वितरकों जैसे एमएसओ, आईपीटीवी और हिट्स के लिए डीटीएच हेतु प्लेटफ़ॉर्म सेवा के बारे में सिफारिशों को अपनाने के लिए एमआईबी के दृष्टिकोण पर भी सहमति व्यक्त की है:

- प्लेटफ़ॉर्म सेवा की परिभाषा।
- प्लेटफार्म सेवा की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - अन्य वितरकों के साथ लेटफार्म सेवा चैनल साझा नहीं करना।
  - कोई पंजीकृत टीवी चैनल या टाइम शिफ्टेड चैनल एक प्लेटफॉर्म चैनल के रूप में प्रसारित नहीं किया जाएगा।
  - इन पहलुओं पर वचन–पत्र।
  - भादूविप्रा ऐसे चैनलों पर रोक लगा सकता है जो इसका अनुपालन नहीं करते हैं। एमआईबी वितरक का पंजीकरण रद्द कर सकता है
- वितरक भादूविप्रा के आदेशों/विनियमों/निर्देशों के अधीन प्लेटफार्म सेवा को सक्रिय/निष्क्रिय करने का विकल्प प्रदान करेंगे।
- प्लेटफॉर्म सेवा को "प्लेटफार्म सेवा" शैली के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, अधिकतम खुदरा मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा और रैखिक चैनलों से अलग करने के लिए अनुशीर्षक प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_02022021_0.pdf

2. निदेश

2.1 भादूविप्रा ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के तहत प्राधिकरण को कार्य निष्पादन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में 15 फरवरी 2021 को एक निदेश जारी किया।

प्राधिकरण दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के माध्यम से अनचाही वाणिज्यिक कॉल्स/संदेशों को नियंत्रित करता है।

इन विनियमों के विनियम 26 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पहुंच प्रदाता समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस प्रावधान के तहत 6 अगस्त 2019 के निदेश के तहत भादूविप्रा ने सेवा प्रदाताओं को एक रिपोर्टिंग प्रारूप निर्दिष्ट किया है।

फिलहाल, सेवा प्रदाताओं के अनुरोध पर और पहुंच प्रदाताओं द्वारा किए गए उपायों के समग्र कार्य निष्पादन की निगरानी करने के लिए, इस निदेश के द्वारा इन प्रारूपों को संशोधित किया गया है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_15022021.pdf

2.2 भादूविप्रा द्वारा विभिन्न एमएसओ को निदेश जारी किए गए:

भादूविप्रा ने प्रसारण और केबल सेवाओं के नए विनियामक फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 9 फरवरी 2021 को एमएसओ यथा मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क प्रा. लि., मैसर्स केरल कम्युनिकेटर्स केबल लि., मैसर्स केएएल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लि. और मैसर्स फॉस्टवे ट्रांसमिशन्स प्रा. लि. को निदेश जारी किए। यह निदेश यह देखने के बाद जारी किए गए थे कि उक्त एमएसओ नए विनियामक फ्रेमवर्क के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे थे।

इन निदेशों को नीचे दिए गए लिंक्स के माध्यम से देखा जा सकता है:

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_UCN_09022021.pdf

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_Kal_Cables_09022021.pdf

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_KCCL_09022021.pdf

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_GTPL_09022021.pdf

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_Fastway_09022021.pdf

3. वेबिनार

3.1 भादूविप्रा द्वारा "डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा एवं बचाव" पर 19 फरवरी, 2021 को वेबिनार का आयोजन

आज के समय में, दुनिया में डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा एवं बचाव चिंता का महत्वपूर्ण विषय बन गया है और इसीलिए प्रत्येक यक्ति के लिए डेटा गोपनीयता के महत्व को जानना जरूरी है।

इस संदर्भ में, भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने 19 फरवरी 2021 को "डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा एवं बचाव" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का शुभारंभ श्री संजीव बंजाल, सलाहकार (सीए एंड आईटी), मुख्यालय द्वारा किया गया।

श्री ए मुनीशेखर, सलाहकार, क्षेत्रीय कार्यालय (हैदराबाद) ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. अभिनव कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईटी हैदराबाद, श्री एसवीएन मुरली, उपाध्यक्ष, इंजीनियरिंग चेनयार्ड, यूएसए, डॉ. वी. बालाकिस्टा रेड्डी, प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड रजिस्ट्रार, एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, श्री एम जगदीश बाबू, प्रोजेक्ट मैनेजर, आईएसईए, सी–डैक, हैदराबाद, श्री एस.के. सिंघल, सलाहकार, भादूविप्रा, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं।

वेबिनार में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों अर्थात्, बीवीआरआईटी नरसापुर, केएल विश्वविद्यालय गुंटूर, सीबीआईटी हैदराबाद, वीएनआर वीजेआईईटी हैदराबाद, एसआईईटी अमलापुरम के संकाय सदस्य व छात्र, सरकारी विभागों यथा दूरसंचार विभाग, टीईआरएम, तेलंगाना राज्य, आदि के सरकारी अधिकारीगण, औद्योगिक संगठन आदि; उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएजी); टीएसपी, आदि शामिल थे।

"डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा एवं बचाव" पर 19 फरवरी, 2021 को आयोजित वेबिनार

4. खुला मंच चर्चा

4.1 भादूविप्रा ने ''ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाने के लिए योजना'' संबंधी परामर्श पत्र पर एक ओएचडी का आयोजन किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने ''ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाने के लिए योजना'' संबंधी 20 अगस्त 2020 के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18 फरवरी 2021 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया। इस ओएचडी में लगभग 120 प्रतिभागियों (भादूविप्रा के अधिकारियों सहित) ने भाग लिया। ओएचडी के दौरान सभी हितधारकों से 25 फरवरी 2021 तक अतिरिक्त टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

5. अन्य सूचना

5.1 31 जनवरी 2021 को दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आंकड़ें

विवरण	वायरलैस	वायरलाइन	योग (वायरलैस+वायर लाइन)
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	634.97	18.32	653.29
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	528.44	1.75	530.19
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**1163.41**	**20.07**	**1183.48**
समग्र टेली–घनत्व (%)	85.53	1.48	87.01
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.58	91.27	55.20
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	45.42	8.73	44.80
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	734.94	22.67	757.61

A जनवरी 2021 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलैस उपभोक्ताओं की संख्या 978.68 मिलियन थी।

जनवरी 2021 के दौरान, 7.63 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी के लिए अनुरोध किए। एमएनपी सुविधा शुरू होने से लेकर जनवरी 2021 के अंत तक कुल 552.24 मिलियन उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

5.2 डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों का पैनल

भादूविप्रा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की समय–समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों के पैनल की अद्यतन सूची जारी करता है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने 10 फरवरी 2021 को लेखापरीक्षकों का अद्यतन पैनल जारी किया। इस अद्यतन सूची को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Audit_List_10022021_0.pdf

6. कार्यक्रम

6.1 5 फरवरी 2021 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (सीयूटीसीईएफ) के उपयोग संबंधी समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई।

भादूविप्रा ने 5 फरवरी 2021 को सीयूटीसीईएफ की ऑनलाइन बैठक आयोजित की।

बैठक का उद्घाटन श्री एस. के. गुप्ता सचिव, भादूविप्रा एवं पदेन अध्यक्ष सदस्य द्वारा किया गया। समिति के संयोजक सदस्य श्री संजीव बंजाल सलाहकार (आईटी एंड सीए) ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें सीयूटीसीईएफ विनियम के प्रावधानों के संदर्भ में बैठक आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी।

टीसीईपीएफ की ओर से 2020–21 के दौरान के किए गए कार्यों पर समिति के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसके बाद, समिति ने कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर चर्चा की और निर्णय लिया:

क) 2019–20 के लिए टीसीईपीएफ लेखापरीक्षित खातों को स्वीकृति देना।

ख) वर्तमान वर्ष की उपलब्धियों पर रिपोर्ट और 2021–22 के लिए व्यय की प्रस्तावित मदें।

4. सचिव, भादूविप्रा ने चर्चाओं का समापन किया और सीयूटीसीईएफ समिति में उनकी सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए भादूविप्रा की ओर से उनका आभार व्यक्त किया।

5. श्री एस.एम.के. चंद्रा, समिति के संयुक्त सलाहकार (सीए) द्वारा समिति को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

5 फरवरी 2021 को आयोजित सीयूटीसीईएफ बैठक

6.1 फरवरी 2021 के दौरान, निम्नलिखित ऑनलाइन उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र. सं.	स्थान	तिथि
1	केरल एलएसए	15 फरवरी 2021
2	उत्तराखण्ड	25 फरवरी 2021

फोटो दीर्घा

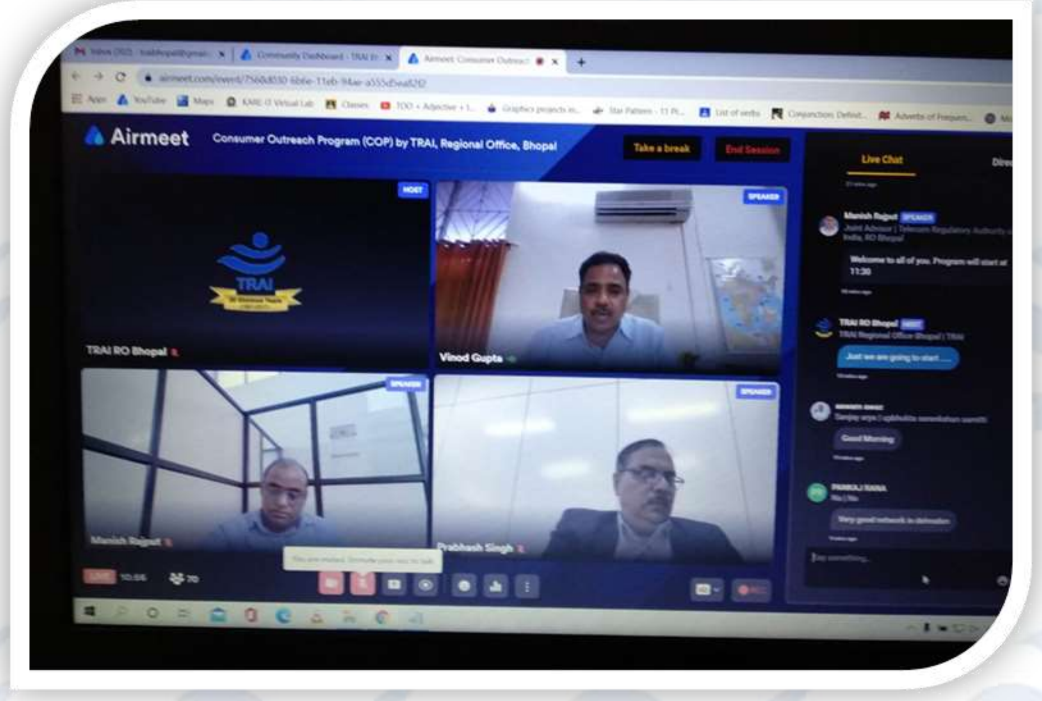

25 फरवरी 2021 को उत्तराखण्ड में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी)

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** *पर भी उपलब्ध है।*

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड़) नई दिल्ली–110002

हम फेसबुक पर भी हैं! आइये हमारे साथ!

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ! ***TRAI@TRAI***